FORM NO- III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत ..... उपखंड अधिकारी, बयाना मुकाम बयाना

बनाम किशन सिंह वगैरा सन 84/2

श्रीमती गयां

किस्म मुकदमा ..... प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट ..... नं.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/6/23	एडवोकेट प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र धारा 212 RT Act के तहत पेश किया। इसने एडवोकेट प्रार्थी को एक-पक्षीय सुना। पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में उभय पक्षकारान को अग्रिम अग्रिम तारीख पेशी आदि निर्धारण आगामी तारीख पेशी दिनांक 20/7/23 तक इस आशय का जारी किया जाता है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 लगायत 4 में वर्णित आराजीयात वादी द्वारा ले० गवाहिका तहसील बयाना के कब्जे की यथास्थिति बनाए रखे। एक दूसरे के कब्जे काश्त की आराजी के उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें इस बाबत कोई आपत्ती हो तो नियत तारीख पेशी को पत्रावली हाजा उपस्थित हो प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो अग्रिम आदेश तक कोई स्थगन का प्रकरण दिनांक 20/7/23 को पेश हो।	

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

20/7/23 एड. प्रार्थी उपस्थित, 212 आर.टी.एक्ट उभय उपस्थित प्रकरण बाबत आगामी कार्यवाही सूचना वाद के साथ दिनांक 9/10/23 को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/8/25	[illegible] प्रार्थी उपस्थित प्रकरण वास्ते [illegible] कार्यवाही [illegible] 12/11/25 को पेश हो।
4/11/25	प्रकरण पेश हुआ। अधिवक्तागण द्वारा शोकसभा रखने के कारण स्थ० कार्य। पश्चात् पुनर्नियत दिनांक 10/4/26 को पेश हो।
1/2/26	प्रकरण पेश हुआ। तलवाना पेश नहीं। अब तलवाना पेश हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। प्रकरण दिनांक 28/4/26 को पेश हो।
28/4/26	प्रकरण पेश हुआ। उभय प्रार्थिनी व सम्पत्ति प्रार्थिनी अनु० प्रकरण के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा से बार-बार आवाज लगवाई गई। आवाज उपरान्त भी प्रकरण में कोई उपस्थ नहीं। अतः प्रकरण इसी स्तर पर अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ख में दर्ज हो। बाद तकमील दाखिलदफ्तर हो।